भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3444

दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत अवसंरचना का उन्नयन

3444. श्री रमाशंकर बिद्यार्थी राजभर:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि उपभोक्ताओं को विभिन्न राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने के बाद गलत रीडिंग, अत्यधिक बिल, प्रीपेड शेष राशि में तेजी से कमी और तकनीकी गड़बड़ियों जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो उनके समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या पूर्वांचल के देवरिया और बलिया जिलों के कई गांव अभी भी बांस के खंभे पर आधारित असुरक्षित विद्युत आपूर्ति पर निर्भर हैं और कम वोल्टेज, बार-बार ट्रिपिंग और जीर्ण-शीर्ण लाइनों का खामियाजा भुगतना पड़ता है और यदि हां, तो ऐसे प्रभावित गांवों की संख्या कितनी है और लाइनों के स्थायी उन्नयन के लिए प्रस्तावित समय-सीमा क्या है; और

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में 24x7 गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष योजना, ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि, लाइन सुदृढ़ीकरण या स्मार्ट ग्रिड परियोजना स्वीकृत की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : स्मार्ट मीटर की स्थापना जुलाई 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत एक प्रमुख हस्तक्षेप है, जो वास्तविक खपत के आधार पर सटीक बिलिंग, मैनुअल मीटर रीडिंग त्रुटियों को खत्म करने, उपभोक्ताओं के लिए रिचार्ज की सुविधा और विद्युत की खपत की निगरानी करने की क्षमता जैसे लाभ प्रदान करता है। स्मार्ट मीटर वितरण यूटिलिटी को संग्रह दक्षता में सुधार करने, स्वचालित ऊर्जा लेखांकन को सक्षम करने, बेहतर भार पूर्वानुमान और ऊर्जा पारगमन के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधा प्रदान करने में भी सहायता करते हैं।

प्रारंभ में, स्मार्ट मीटर के लाभों के बारे में सीमित उपभोक्ता जागरूकता के कारण कुछ चुनौतियों की सूचना मिली थी। उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाने और समस्याओं का समाधान करने के लिए, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) सरकारी संस्थानों, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए, और इसके बाद जब इनके लाभों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन हो जाए, अन्य उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटरों की स्थापना को प्राथमिकता देना।

(ii) मंत्रालय द्वारा विभिन्न परामर्शिकांए और मानक संचालन प्रक्रियाएँ (एसओपी) जारी की गई हैं, जिनमें शामिल हैं:

- प्रीपेड स्मार्ट मीटरों की स्थापना के लिए उपभोक्ताओं को बिल में रियायत के माध्यम से प्रोत्साहित करना;
- स्मार्ट मीटरों द्वारा रिकॉर्ड किए गए अधिकतम मांग के आधार पर उपभोक्ताओं पर कोई शास्ति नहीं लगाना;
- पूर्ववर्ती बकाया राशि की वसूली के लिए आसान किस्तों में तंत्र प्रदान करना;
- स्मार्ट मीटरों की सटीकता में विश्वास बढ़ाने के लिए चेक मीटरों की संस्थापना;
- उपभोक्ताओं को बिजली खपत ट्रैक करने और सुविधाजनक रिचार्ज के लिए मोबाइल एप्लिकेशन की व्यवस्था;
- बैलेंस उपलब्धता और आपातकालीन क्रेडिट सुविधाओं के लिए अग्रिम अलर्ट।

(iii) वितरण यूटिलिटी, नोडल एजेंसियों और एएमआई सेवा प्रदाताओं द्वारा पम्पलेट, बैनर, जागरूकता शिविर और सोशल मीडिया के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

परिणामस्वरूप, देशभर में विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत 5.97 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त, विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 के तहत एक मजबूत बहु-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। उपभोक्ता वितरण यूटिलिटी की आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली से संपर्क कर सकते हैं और यदि संतुष्ट नहीं हैं, तो उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) और उसके बाद बिजली लोकपाल के माध्यम से अपनी शिकायत का निवारण करवा सकते हैं।

(ख) और (ग) : विद्युत एक समवर्ती विषय है, उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/वितरण यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में है। इसके अतिरिक्त, विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 के नियम (10) के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत आपूर्ति करेगा। हालांकि, आयोग कुछ उपभोक्ता वर्गों, जैसे कृषि, के लिए आपूर्ति के घंटे कम निर्धारित कर सकता है।

भारत सरकार वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से वर्तमान में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत, वितरण यूटिलिटी को वितरण अवसंरचना के उन्नयन कार्यों जैसे नए सबस्टेशनों का निर्माण, सबस्टेशनों और वितरण ट्रांसफॉर्मरों का उन्नयन/क्षमता वृद्धि, कंडक्टरों का प्रतिस्थापन, नई एचटी/एलटी लाइनें बिछाना, फीडर विभाजन, फीडर पृथक्करण आदि के लिए वित्तीय सहायता की जा रही है। ये कार्य राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं। आरडीएसएस के अंतर्गत, वितरण अवसंरचना कार्यों सहित स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के लिए 40,739 करोड़ रुपये के कार्य शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया और बलिया जिलों के लिए आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य ने अपनी व्यवसाय योजना के अंतर्गत विभिन्न वितरण अवसंरचना कार्य किए हैं ताकि वोल्टेज समस्याओं का समाधान किया जा सके, और उनके विवरण **अनुबंध-II** पर दिए गए हैं।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3444

अनुबंध-I

आरडीएसएस के तहत स्वीकृत विवरण

1. देवरिया जिला

क्र.सं	विवरण	परियोजना लागत
1	स्मार्ट मीटरिंग कार्य	246.21
2	हानि में कमी के कार्य	162.72
कुल		**408.93**

हानि में कमी के कार्य

क्र.सं	विवरण	इकाई	संस्वीकृत परिमाण
1	हाई टेंशन (एचटी) लाइन	सीकेएम	555.72
2	लो टेंशन (एलटी) लाइन	सीकेएम	1,696.80
3	नए डीटी	संख्या	142
4	विद्युतीकरण के लिए संस्वीकृत घर	संख्या	3,829

2. बलिया जिला

क्र.सं	विवरण	परियोजना लागत
1	स्मार्ट मीटरिंग कार्य	199.9
2	हानि में कमी के कार्य	299.23
कुल		**499.13**

हानि में कमी के कार्य

क्र.सं	विवरण	इकाई	संस्वीकृत परिमाण
1	हाई टेंशन (एचटी) लाइन	सीकेएम	787.35
2	लो टेंशन (एलटी) लाइन	सीकेएम	3,441
3	नए डीटी	संख्या	109
4	विद्युतीकरण के लिए संस्वीकृत घर	संख्या	1,942

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3444

अनुबंध-II

उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की व्यवसाय योजना के तहत स्वीकृत विवरण

देवरिया जिला	167 नए वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना 1140 वितरण ट्रांसफार्मरों का संवर्धन 11 केवी फीडर विभाजन के 9 कार्य 11 केवी लाइन के 28 री-कंडक्टरिंग कार्य
बलिया जिला	72 बस्तियों में बांस के खंभे हटाना 1535 वितरण ट्रांसफार्मरों का संवर्धन 93 अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना 11 केवी फीडर विभाजन के 40 कार्य 11 केवी लाइन के 18 री-कंडक्टरिंग कार्य

****